



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1985/श्रावण 19, 1907

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1985/SRAVANA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह समग्र संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।
General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कामिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1985

का० सा० नि० 746-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1985 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूची में भाग II में, स्तम्भ 4 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात्:-

- (1) क्रम संख्या 1, 2, 3, 3क और 4 के सामने, मद (क) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्:-
“(क) रक्षा मंत्रालय (वित्त विभाग) वित्त सलाहकार रक्षा सेवा”
- (2) भाग III में, क्रम संख्या 1 और 1क के सामने, स्तम्भ 4, 5 और 6 में मद (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्:-

4	5	6
“रक्षा मंत्रालय (वित्त विभाग)	उप वित्त सलाहकार (1) से (4)	वित्त सलाहकार रक्षा सेवा”।

[संख्या 11012/5/85-स्पा० (ए)]

अ० जयरामन, निदेशक

**MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND
PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION**

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 29th July, 1985

S.O. 746.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1985.
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in Part II, the following amendments shall be made in column 4, namely :—
 - (i) against Sl. Nos. 1, 2, 3-3A and 4, for the existing entries against item (c), the following entries shall be substituted, namely:—
 “(c) Ministry of Defence (Finance Division) Financial Adviser Defence Services”;
 - (ii) in Part III, against S. Nos. 1 and 1A, in columns 4, 5, and 6 for the existing entries against item (b), the following entries shall be substituted namely :—

4	5	6
“Ministry of Defence (Finance Division)	Deputy Financial Adviser (i) to (iv)	Financial Adviser Defence Services”

[No. 11012/5/85-Estt (A)]
A. JAYARAMAN, Director